

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—shivira/madhay/inspection/tour and inspection/2025-2026-39987-7722546

दिनांक—यथा हस्ताक्षर

अति—महत्वपूर्ण

:: सरकारी विद्यालयों का नियमित अवलोकन/निरीक्षण मोबाईल एप्लीकेशन "राज शाला संबलन" के अन्तर्गत रात्रि विश्राम/भ्रमण किये जाने हेतु नवीनतम दिशा—निर्देश ::

राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों के लिये समय—समय पर विभाग द्वारा विद्यालय अवलोकन/निरीक्षण के संबंध में दिशा— निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं।

राजकीय विद्यालयों के संबलन हेतु वर्तमान में प्रयुक्त राज शाला संबलन मोबाईल एप्लीकेशन को और अधिक प्रभावी बनाने एवं राज्य में शिक्षा विभाग संभाग/जिला/ब्लॉक एवं पीईईओ/यूसीईईओ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के अवलोकन/निरीक्षण हेतु एक नवीन विकल्प "**रात्रि विश्राम/भ्रमण**" विकसित किया गया है, जो कि राज शाला संबलन मोबाईल एप्लीकेशन में ही प्रदर्शित किया जावेगा के क्रम में अग्रांकित बिन्दुवार एवं तालिकानुसार दिशा—निर्देश जारी किये जाते हैं:—

- वर्तमान सत्र 2026—27 में विभाग के अधिकारियों को राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक स्टॉफ, शिक्षा की गुणवत्ता, प्रशासनिक नियंत्रण, विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर, आधारभूत सुविधाओं भवन, पानी, शौचालय इत्यादि को मददेनजर रखते हुए प्रत्येक माह चार(04) विद्यालयों का रात्रि विश्राम/भ्रमण (सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक) किया जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, **परिशिष्ट—ब** में अंकित अधिकृत अधिकारी को लक्ष्यानुसृत रात्रि/भ्रमण किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित विद्यालयों का अवलोकन भी अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। **संलग्नक (परिशिष्ट—ब)**
रात्रि विश्राम के अन्तर्गत विद्यालय अवलोकनकर्ता अधिकारी को विद्यालय स्टॉफ, विद्यार्थियों एवं गांव के लोगों यथा प्रबुद्धजनों से विद्यालय के संबंध में संवाद/चर्चा किया जाना भी सम्मिलित है, जिसके तहत विद्यालय की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार की समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त कर विभागीय स्तर उनके त्वरित समाधान एवं निराकरण करवाये जाने के प्रयास किये जावें। **संलग्नक (परिशिष्ट—अ)**
- प्रत्येक संभाग/जिला/ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ स्तर के अधिकारीगण संबलन एप्प में परिक्षेत्रानुसार आवंटित विद्यालयों में से प्रत्येक माह चार विद्यालयों का स्वयं के स्तर से चयन कर रात्रि विश्राम/भ्रमण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- शाला संबलन मोबाईल एप्प के माध्यम विद्यालय अवलोकन एवं रात्रि विश्राम से संबंधित अवलोकन की प्रगति रिपोर्ट एवं लक्ष्य प्राप्ति के अन्य पहलुओं पर विचार—विमर्श हेतु समीक्षा बैठक आयोजित तालिका **संलग्नक (परिशिष्ट—स)** अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राज शाला संबलन एप्प में रात्रि विश्राम का विकल्प पृथक से दिया गया है जो कि सायं 6 बजे के उपरान्त ही प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात अगले दिवस के प्रातःकाल 6 बजे के उपरान्त (रात्रि विश्राम के समयानुसार 12 घण्टे पश्चात्) ही रिपोर्ट सबमिट हेतु सबमिट बटन का विकल्प प्रदर्शित होगा।
- प्रदत्त लक्ष्यानुसार रात्रि विश्राम न करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



अतः उक्तानुसार राज शाला संबलन मोबाईल एप्लीकेशन में राजकीय विद्यालयों के अवलोकन की भांति रात्रि विश्राम/भ्रमण एवं अवलोकन उपरान्त संबंधित पहलुओं पर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार

(जयदीप)

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांक—shivira/madhay/inspection/tour and inspection/2025-2026-39987-7722546 दिनांक—यथा हस्ताक्षर
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. **आयुक्त, मिड-डे-मील, आयुक्तालय, जयपुर।**
5. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
6. अति.राज्य परियोजना निदेशक—प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक, आर.एस.सी.ई.आर.टी., उदयपुर।
8. समस्त उपायुक्त, रा.स्कूलशिप, जयपुर।
9. **वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., शिक्षा संकुल, जयपुर, को उक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।**
10. समस्त संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा।
13. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
14. समस्त डाईट प्रधानाचार्य।
15. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (यूसीईईओ)/सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
17. **उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प., जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि शाला संबलन मोबाईल एप के संबंध में फिल्ट से प्राप्त होने वाली समस्याओं को सुनने एवं उनके समाधान की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।**
18. **प्रभारी अधिकारी, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
19. **प्रभारी अधिकारी, व्यवसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।**
20. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
21. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विद्यालय रात्रि विश्राम/भ्रमण अवलोकन प्रपत्र

विद्यालय का नाम

ब्लॉक जिला संभाग

अवलोकनकर्ता का नाम

पद नाम पदस्थापन स्थान

मोबाईल नं. अवलोकन (रात्रि विश्राम) दिनांक

क्र.सं	रात्रि विश्राम में चर्चा संबंधित बिन्दु (समस्या)	अवलोकनकर्ता अधिकारी द्वारा चर्चित बिन्दुओं पर समाधान हेतु टिप्पणी	विशेष विवरण

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील एवं दिनांक

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता मय सील एवं दिनांक

परिशिष्ट –ब

राज शाला संबलन मोबाईल एप्लीकेशन में रात्रि विश्राम निम्नांकित अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है।

स्तर	कार्यालय	पद नाम	रात्रि विश्राम के मासिक लक्ष्य
संभाग	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा	संयुक्त निदेशक	4
	महात्मा गांधी प्रकोष्ठ	उपनिदेशक	4
जिला	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	4
	जिला शिक्षा अधिकारी समस्त (मा.शि. / प्रा.शि.)	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	4
		जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा	4
	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	4
	ड्राईट कार्यालय	प्रधानाचार्य	4
ब्लॉक	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन समग्र शिक्षा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	4
	पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी / शहरी शंकुल प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	पीईईओ / यूसीईईओ	4

नोट— प्रत्येक अधिकारी को आवंटित लक्ष्य अनुसार आवश्यक रूप से रात्रि विश्राम किया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित विद्यालय का अवलोकन पूर्ण रूप से माना जायेगा।

शाला संबंलन मोबाईल ँप के माध्यम से अवलोकित विद्यालयों की प्रगति रिपोर्ट एवं विद्यालय अवलोकन से संबंधित अन्य पहलुओं पर विमर्श हेतु समीक्षा बैठक आयोजित करने के संबंध में निर्धारित तालिका :—

विवरण, जिसके द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की जानी है		विवरण, जिसको बैठक में भाग लिया जाना है	
पदनाम	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)	संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), समस्त संभाग	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
		उपनिदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय)	उपनिदेशक(महात्मा गांधी विद्यालय) समस्त संभाग।
		जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
		जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, समस्त जिले।
		अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	अति.जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
		डाईट-प्रधानाचार्य	डाईट, समस्त जिले
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।	1. जि.शि.अ.(मुख्यालय) मा.शि./प्रा.शि., एडीपीसी 2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।	
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ.,समग्र शिक्षा	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ.,समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।	ब्लॉक क्षेत्राधिकार में कार्यरत समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (यूसीईईओ)	